

भाग. 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

क्र०	मद	विवरण								
	परियोजना विवरण	जनपद सीतापुर में ग्राम-कान्हामऊ परगना बाडी, तहसील सिधौली जिला सीतापुर, सिधौली-बिसवाँ मार्ग किमी० नं० 05 व 06 के मध्य खसरा संख्या 455 पर प्रस्तावित माई ओन इको इनर्जी प्रा०लि० के रिटेल आउटलेट निर्माण में पहुँच मार्ग बनाने हेतु 0.038668 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति का प्रस्ताव।								
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।								
(ii)	जिला	सीतापुर।								
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर।								
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.038668हे०								
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी)								
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1								
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	<p>प्रभावित वृक्षों की संख्या एक है</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>प्रजाति</th> <th>वनस्पतिक नाम</th> <th>गोलाई</th> <th>ब्यास वर्ग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कदम्ब</td> <td>Anthocephalus Indicus</td> <td>0.90</td> <td>2-3</td> </tr> </tbody> </table>	प्रजाति	वनस्पतिक नाम	गोलाई	ब्यास वर्ग	कदम्ब	Anthocephalus Indicus	0.90	2-3
प्रजाति	वनस्पतिक नाम	गोलाई	ब्यास वर्ग							
कदम्ब	Anthocephalus Indicus	0.90	2-3							
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल भूमि होने के कारण भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।								
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।								
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है [यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए]	नहीं।								
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	नहीं।								
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।								
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।								

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अविकसित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अविकसित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न हैं।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण क्रियान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	नीम, जामुन, शीशम आदि।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	100 पौधों के रोपण व रखरखाव हेतु रु 50,866.00 का व्यय आयेगा, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कुल व्यय रु 50,866.00 (क्षतिपूरक योजना संलग्न है।)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।)	संलग्न हैं।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	571284.00 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4991.17 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की सं० -21 151.168 हे०
(iv)	1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	280.908 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	0.00 हे०
(क)	वन भूमि पर	183.87 हे०।
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सिधौली

उप-प्रभागीय वन अधिकारी
सिधौली

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक-व्यवसायिक वन प्रभाग
सीतापुर